संख्या-8 /2018/आ0मि0-57 /96-आयुष-2-2018-35(बी)/2014

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी,
लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 13 फरवरी, 2018

विषय:- इण्डियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल, कार्पोरेशन लि0 मोहन, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड को उत्तर प्रदेश में आयुष औषधियों के क्रय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-275/03/मि0नि0/2017-18, दिनांक 26 सितम्बर, 2017, पत्र संख्या-397/03/मि0नि0/2017-18, दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 एवं आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-जेड-28015/32/2016-एचएण्डडी सेल, दिनॉक 29-01-2018 तथा उघोग अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या- 344/18-5-2003-76-(एस0पी0)/86, दिनॉक 10-3-2003 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2016-17 में आयुष मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-जेड-28015/32/2016-एचएण्डडी सेल, दिनॉक 07-12-2016 द्वारा आयुर्वेद एवं यूनानी औषधियों के क्रय हेतु प्रदान किये गये अनुमोदन के परिप्रेक्ष्य में इण्डियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल, कार्पोरेशन लि0 मोहन, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड जो भारत सरकार का उपक्रम है, को राष्ट्रीय आयुष मिशन योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश में आयुष औषधियों (आयुर्वेद/यूनानी) की आपूर्ति हेतु रू0 47.16 करोड़ (रूपये सैतालीस करोड़ सोलह लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के साथ श्री राज्यपाल महोदय अहरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनॉक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व मिशन निदेशालय का होगा।
2- क्रय की जाने वाली औषधियों की गुणवत्ता एवं दर सुनिश्चित करने का दायित्व मिशन निदेशालय का होगा।
3- मिशन निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि औषधियों की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो एवं मूल्य प्रचलित बजार दर से अधिक नही होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- आपूर्तिकर्ता फर्म को भुगतान समयबद्ध आपूर्ति किये जाने की अण्डरटेकिंग/एम0ओ0यू0 लिए जाने के पश्चात ही किया जायेगा।

5- राष्ट्रीय आयुष मिशन-कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा एवं सामान्य दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- आयुष मिशन की कार्यकारी निकाय की दिनांक 25.08.2017 की बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु-5 में प्रस्तुत क्रयादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव।

संख्या-8/2018/आ0मि0-57(1)/96-आयुष-2-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- इण्डियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल, कार्पोरेशन लि0 मोहन, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
5- निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार,नई दिल्ली।
6- वित्त प्रबन्धक, राज्य आयुष सोसाइटी उ0प्र0 लखनऊ
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।